प्रेस नोट दिनांक 25.05.2026

थाना क्योलड़िया जनपद बरेली

थाना क्योलड़िया #bareillypolice द्वारा गौवंशीय पशु वध की फिराक में घूम रहे 01 शातिर बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल व नकदी बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद बरेली में अपराध एवं गौतस्करी/पशु चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24/25.05.2026 की रात्रि थाना क्योलड़िया पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा गश्त की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना हाफिजगंज एवं थाना क्योलड़िया बॉर्डर स्थित कैलाश नदी पुल के पास घने जंगल में कुछ बदमाश घुमंतू गौवंशीय पशुओं को पकड़कर उनका वध कर मांस ले जाने की फिराक में हैं तथा एक बदमाश पहले से मौके की रेकी कर रहा है।

सूचना एवं कार्यवाहीः-

सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना क्योलड़िया पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कैलाश नदी किनारे घने जंगल में घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर एक बदमाश ने स्वयं को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम इकराम उर्फ हड्डी पुत्र असलम निवासी मोहल्ला हजियापुर थाना बारादरी जनपद बरेली बताया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। घटना स्थल से फील्ड यूनिट द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 मोबाइल फोन एवं 570 रुपये नकद बरामद हुए हैं। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बरेली एवं शाहजहांपुर सहित विभिन्न जनपदों में एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

इकराम उर्फ हड्डी पुत्र असलम नि0 मोहल्ला हजियापुर थाना बारादरी जनपद बरेली उम्र 26 वर्ष

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 191/26 धारा 109(1) बीएनएस व 25/27 आयुध अधि0 थाना क्योलड़िया जनपद बरेली

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध तमंचा

01 खोखा कारतूस

01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

01 मोबाइल फोन

570 रुपये नकद

अभियुक्त इकराम का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 270/19 धारा 11/3 पशु क्र० अधि० व 269 भादवि थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़
2. मु0अ0सं0 144/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 538/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कटरा जनपद शाहजंहापुर
4. मु0अ0सं0 29/25 धारा 305ए बीएनएस थाना बहेडी जनपद बरेली
5. मु0अ0सं0 159/25 धारा 305ए बीएनएस थाना बहेडी जनपद बरेली
6. मु0अ0सं0 171/25 धारा 305ए बीएनएस थाना बहेडी जनपद बरेली
7. मु0अ0सं0 134/25 धारा 305 बीएनएस थाना भोजीपुरा जनपद बरेली
8. मु0अ0सं0 460/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 थाना भोजीपुरा जनपद बरेली
9. मु0अ0सं0 111/25 धारा 305 बीएनएस थाना देवरनिया जनपद बरेली
10. मु0अ0सं0 204/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर मे (वांछित)
11. मु0अ0सं0 156/26 धारा 307 बीएनएस थाना हाफिजगंज जनपद बरेली (वांछित)
12. मु0अ0सं0 191/26 धारा 109(1) बीएनएस व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना क्योलड़िया जनपद बरेली

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गौवंशीय पशुओं एवं भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। अभियुक्त ने बताया कि कैलाश नदी किनारे का सुनसान क्षेत्र होने के कारण वह अपने साथियों के साथ मिलकर गौवंशीय पशु काटकर मांस बेचने की योजना बना रहा था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व में थाना हाफिजगंज, क्योलड़िया एवं जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर भैंस चोरी एवं फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम का विवरणः-

उ0नि0 सौरव कुमार थाना क्योलड़िया जनपद बरेली

उ0नि0 अरिमर्दन सिंह थाना क्योलड़िया जनपद बरेली

हे0कां0 नीरज कुमार थाना क्योलड़िया जनपद बरेली

हे0कां0 कासिम अली थाना क्योलड़िया जनपद बरेली

कां0 सचिन कुमार थाना क्योलड़िया जनपद बरेली